International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 03(I), July - September, 2021, pp.189-193

अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्र एवं राज्यसरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं के उपभोग करने के सन्दर्भ में अभिमतों का अध्ययन

अमित कुमार*
प्रो. मुकेश कुमार गौतम**

सार

प्रस्तुत शोध कार्य के प्रथम अध्याय में वर्णित विभिन्न उद्देश्यों में तृतीय उद्देश्य यह भी था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर पर केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं का उपभोग उनके द्वारा किस प्रकार किया जाता है, विशेषकर वे छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा कहाँ–कहाँ पर किया जाता है। यथा–पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर, परिधानों को खरीदने पर, मोबाइल/इण्टरनेट पर, यातायात के साधनों पर, माता–पिता अथवा अभिभावकों को सौंप देना, विद्यालय की फीस अदा करने पर, मित्रों/सहपाठियों पर व्यय करना, मकान/छात्रावास में रहने पर व्यय करना, सामाजिक संगठनों को दान देना, रिश्तेदारों के यहाँ आवागमन पर खर्च करना आदि का अध्ययन किया जाना आवश्यक समझा गया है कि यौन–भेद, क्षेत्रवार एवं शैक्षिक संवर्ग के आधार पर इस जाति वर्गके छात्र–छात्राओं के अभिव्यक्त अभिमत अलग–अलग होगें।

शब्दकोशः *अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक सुविधा, छात्रवृत्ति, उच्च माध्यमिक, वैदिक काल।*

प्रस्तावना

प्राचीन भारतीय समाज मे वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वागीण विकास किया जाता था। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक किसी न किसी रूप में भारतीय समाज का सर्वाधिक मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था रही है इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार सम्पूर्ण समाज को चार वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र में विभाजित किया गया। अनेक विषयों के द्वारा सभी वर्गों के अधिकार और कर्तव्यों को इस प्रकार से निर्धारित किया गया जिससे समाज की सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।

चतुर्थ वर्ण में विभाजित जाति व्यवस्था मे शूद्रों को जो शिक्षा दी जा रही थी। वह नाम मात्र की होती थी इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन करने पर यह भी ज्ञात होता है कि इस वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय थी। वास्तविक रूप में भारत वर्ष के अन्दर जाति ही अधिकाशतः एक व्यक्ति के कार्य स्तर, प्राप्त अवसरों तथा साथ ही प्रतिद्वन्द्वता को भी निश्चित करती थी। जाति अन्तर घरेलू तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करते थे। सांस्कृतिक प्रतिमानों में अन्तर को निश्चित करते थे, यहाँ तक कि भूमि स्वामित्व भी प्रायः जातीय आधार पर निश्चित होता था, बहुत से कार्य प्रायः प्रशासनिक कार्य भी विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय

* Research Scholar, Department of Pedagogical Sciences, Faculty of Education, Dayalbagh Educational Institute (Deemed University, Agra, U.P., India
** Professor, Department of Pedagogical Sciences, Faculty of Education, Dayalbagh Educational Institute (Deemed University, Agra, U.P., India

आधार पर विभक्त होते थे। जातीयता, संकुचित धर्मों एवं व्यक्तियों की धर्म निरपेक्ष संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करती थी। उच्च कोटि के मनुष्य निम्न जाति वर्ग पर अनाधिकार चेष्टा करके आदिवासी, हरिजन, बन्धक तथा श्रमिक आदि को शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर निषेध का जीवन यापन करने पर बाध्य किया करते थे। इनकी सन्तानों को प्रायः वही व्यवसाय करने को दिया जाता था जो कि उनकी वंश परंपरा के अनुकूल होता था। इस प्रकार शूद्रों (पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अनु0 जनजातियों) को प्राचीन काल में आवश्यकता से अधिक अत्याचार एवं पद दलित किया गया।

उपर्युक्त विवेचित विषय शीर्षक को निम्न उप–शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है–

- केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर करना।
- केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग परिधानों (गणवेश) के खरीदने पर करना।
- केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग कोचिंग की व्यवस्था पर करना।

तालिका संख्या 1: केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर करना

क्र. सं.	अध्ययन का आधार	वर्ग समूह	हाँ में अभिव्यक्त अभिमत	प्रतिशत	नहीं में अभिव्यक्त अभिमत	प्रतिशत	कुल संख्या	काई वर्ग मान	Df	पी0 मान
1	यौनभेद	पुरुष महिला	728 690	86.67 90.79	112 70	13.33 9.21	840 760	6.728	1	<0.05
2	क्षेत्रवार	शहरी ग्रामीण	859 559	89.39 87.48	102 80	10.61 12.52	961 639	1.381	1	>0.05
3	शैक्षिक संवर्ग	कला वर्ग विज्ञान वर्ग वाणिज्य वर्ग	559 672 187	87.76 87.61 95.41	78 95 09	12.24 12.39 4.39	637 767 196	10.204	2	<0.05
		योग	1418	88.63	182	11.38	1600			

तालिका 1 में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि के उपभोग करने के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त की गयी है, क्या मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर किया जाता है। तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि 88.6% अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर किया जाता है। इसी सन्दर्भ में यौन–भेद के आधार पर अध्ययन किया गया, तो ज्ञात हुआ है कि लगभग 87% पुरुष एवं 91% महिला छात्र–छात्रायें शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर व्यय करते है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवार के आधार पर अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ है कि 89.4% शहरी एवं 87.5% ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्रायें शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर व्यय करते है। इसी सन्दर्भ में शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अध्ययन किया गया, तो ज्ञात हुआ है कि 87.8% कला वर्ग, 87.6% विज्ञान वर्ग एवं 95.4% वाणिज्य वर्ग के छात्र–छात्रायें शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपनी पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने पर ही व्यय करते है। तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस सन्दर्भ में यौन–भेद एवं शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अभिव्यक्त अभिमतों में छात्र–छात्रायें तुलनात्मक दृष्टि से सार्थक भिन्नता नहीं रखते है जबकि क्षेत्रवार के आधार पर अभिव्यक्त अभिमतों में छात्र–छात्रायें तुलनात्मक दृष्टि से सार्थक भिन्नता रखते है। जैसाकि उपलब्ध काई वर्ग मान (x^2) एवं पी. मान से स्पष्ट है।

सारणी के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि 88.6% अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रायें केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपनी पाठ्य–पुस्तकों को खरीदने पर व्यय करते है।

तालिका सं0 1 में जिन अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं ने केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा इस जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग पाठ्य–पुस्तकों के खरीदने के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान की है। साथ ही उनसे यह भी जानकारी प्राप्त की गयी है कि क्या प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा अपने परिधानों (गणवेश) के खरीदने पर भी किया जाता है। के सन्दर्भ में प्रस्तावित अभिमत प्रश्नावली के चतुर्थ खण्ड (द) के प्रश्न पद संख्या 2 के माध्यम से अभिव्यक्त अभिमतों को संग्रहित किया गया है। उत्तरदाताओं के रुप में उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा–11 एवं 12) के छात्र–छात्राओं को शामिल किया गया है। जिसे सारणी 2 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

तालिका संख्या 2: केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग परिधानों (गणवेश) के खरीदने पर करना

क्र0 सं0	अध्ययन का आधार	वर्ग समूह	हाँ में अभिव्यक्त अभिमत	प्रतिशत	नहीं में अभिव्यक्त अभिमत	प्रतिशत	कुल संख्या	काई वर्ग मान	Df	पी0 मान
1	यौनभेद	पुरुष	627	74.64	213	25.36	840	11.398	1	<0.05
		महिला	509	66.97	251	33.03	760			
2	क्षेत्रवार	शहरी	624	64.93	337	35.07	961	43.025	1	<0.05
		ग्रामीण	512	80.13	127	19.87	639			
3	शैक्षिक संवर्ग	कला वर्ग	429	67.35	208	32.65	637	78.851	2	<0.05
		विज्ञान वर्ग	515	67.14	252	32.86	767			
		वाणिज्य वर्ग	192	97.96	04	2.04	196			
		योग	1136	71.00	464	29	1600			

तालिका 2 में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपने परिधानों (गणवेश) के खरीदने पर भी किया जाता है, के सन्दर्भ में अभिव्यक्त अभिमतों को संकलित किया गया है। तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि 71% अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं ने शासन से प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपने परिधानों (गणवेश) के खरीदने पर भी किये जाने की जानकारी उपलब्ध करायी है। इसी सन्दर्भ में यौन–भेद के आधार पर अध्ययन किया गया, तो ज्ञात हुआ है कि लगभग 75% पुरुष एवं 67% महिला छात्र–छात्राओं ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा अपने परिधानों (वस्त्रों) के खरीदने पर भी किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवार के आधार पर अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ है कि 65% शहरी एवं 80: ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि शासन के स्तर से प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा अपने परिधानों (वस्त्रों) के खरीदने पर भी खर्च किया जा रहा है। इसी परिसन्दर्भ में शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ है कि 67.4% कला वर्ग, 67.1% विज्ञान वर्ग एवं लगभग 98% वाणिज्य वर्ग के छात्र–छात्राओं ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि शासन से मिल रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा अपने परिधानों (वस्त्रों) के खरीदने पर भी व्यय किया जाता है। इसी सन्दर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो यौन–भेद, क्षेत्रवार एवं शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्रायें अपने अलग–अलग अभिव्यक्त अभिमतों में तुलनात्मक दृष्टि से सार्थक भिन्नता नहीं रखते है। जैसाकि उपलब्ध काई वर्ग मान (χ^2) एवं पी. मान से स्पष्ट है।

सारणी के विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि 71% अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रायें केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपने परिधानों (वस्त्रों) के खरीदने पर भी किया करते है।

तालिका सं0 2 में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी है कि शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा परिधानों (वस्त्रों) के खरीदने पर किया जाता है। इसी प्रकार छात्र–छात्राओं से यह भी जानकारी प्राप्त की गयी है कि क्या शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग वे कोचिंग व्यवस्था पर भी करते है। प्रस्तावित अभिमत प्रश्नावली के चतुर्थ खण्ड (द) के प्रश्न पद संख्या 3 के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है। उत्तरदाताओं के रुप में उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा–11 एवं 12) के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को शामिल किया गया है। जिसे सारणी 4.36 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

तालिका संख्या 3 : केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग कोचिंग की व्यवस्था पर करना

क्र0 सं0	अध्ययन का आधार	वर्ग समूह	हाँ में अभिव्यक्त अभिमत	प्रतिशत	नहीं में अभिव्यक्त अभिमत	प्रतिशत	कुल संख्या	काई वर्ग मान	Df	पी0 मान
1	यौनभेद	पुरुष	309	36.79	531	63.21	840	0.553	1	<0.05
		महिला	266	35.00	494	65.00	760			
2	क्षेत्रवार	शहरी	344	35.80	617	64.20	961	0021	1	<0.05
		ग्रामीण	231	36.15	408	63.85	639			
3	शैक्षिक संवर्ग	कला वर्ग	263	41.29	374	58.71	637	29.855	2	<0.05
		विज्ञान वर्ग	224	29.20	543	70.80	767			
		वाणिज्य वर्ग	88	44.90	108	55.10	196			
		योग	575	35.94	1025	64.06	1600			

तालिका 3 में केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग क्या उनके द्वारा कोचिंग की व्यवस्था पर किया गया है, के सन्दर्भ में मतों को एकत्रित किया गया है। सारणी के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि लगभग 36% अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रायें शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग वे अपनी कोचिंग की व्यवस्था पर भी करते है। इसी सन्दर्भ में यौन–भेद के आधार पर अध्ययन किया गया, तो ज्ञात हुआ है कि लगभग 37% पुरुष एवं 35% महिला छात्र–छात्रायें शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा अपनी कोचिंग की व्यवस्था पर भी किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवार के आधार पर अध्ययन किया गया, तो ज्ञात हुआ है कि लगभग 36% शहरी एवं 36.2% ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्रायें शासन से प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग वे अपनी कोचिंग की व्यवस्था पर भी किया जाना स्वीकार करते है। इसी परिसन्दर्भ में शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अध्ययन किया गया, तो ज्ञात हुआ है कि 41.3% कला वर्ग, 29.2% विज्ञान वर्ग एवं लगभग 45% वाणिज्य वर्ग के छात्र–छात्रायें शासन से मिल रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग वे अपनी कोचिंग की सुविधा पर भी किया जाना स्वीकार है। इसी सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यौन–भेद, क्षेत्रवार एवं शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्रायें अपने अलग–अलग अभिव्यक्त अभिमतों में तुलनात्मक दृष्टि से सार्थक भिन्नता नहीं रखते है। जैसाकि उपलब्ध काई वर्ग मान (x^2) एवं पी. मान से स्पष्ट है।

सारणी के अवलोकन से विदित होता है कि लगभग 36: अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रायें ऐसे दिखायी दिये है जो केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपनी कोचिंग की व्यवस्था पर भी किया करते है। तालिका सं. 3 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग अपनी कोचिंग की व्यवस्था पर किया जाना स्वीकार किया है। साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त की गयी है कि क्या शासन से मिली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभोग उनके द्वारा सिनेमा देखने एवं मनोरंजन के साधनों पर भी किया जाता है। प्रस्तावित अभिमत प्रश्नावली के चतुर्थ खण्ड (द) के प्रश्न पद संख्या 4 के माध्यम से अभिव्यक्त अभिमतों को प्राप्त किया गया है। उत्तरदाताओं के रुप में उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा–11 एवं 12) के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को शामिल किया गया है। जिसे सारणी 4.37 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

समीक्षात्मक निष्कर्ष

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं के नाम पर जो छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा रही है, उसका उपभोग उनके द्वारा विभिन्न तौर–तरीकों से किया जा रहा है। यथा– पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्य–सामग्री के खरीदने, परिधानों (गणवेश) पर, कोचिंग की व्यवस्था पर, सिनेमा देखने/मनोरंजन के साधनों पर मोबाइल फोन के रिचार्ज/इण्टरनेट के प्रयोग करने पर, यातायात के साधनों पर, अपने माता–पिता एवं अभिभावक को सौंप देना, अपने विद्यालय की फीस अदायी पर, अपने इष्ट मित्रों/सगे सम्बन्धियों/सहपाठियों पर खर्च कर देना, अध्ययन के दौरान मकान के किराये/छात्रावास की सुविधा पर खर्च करना, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर व्यय करना तथा अपने सगे सम्बन्धियों/नाते रिश्तेदारों के यहाँ आने एवं जाने पर खर्च करना स्वीकार करते है।

तालिका के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रायें केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति की धनराशि का उपभाग विभिन्न तौर–तरीकों से किया करते है। यौन–भेद, क्षेत्रवार एवं शैक्षिक संवर्ग के आधार पर इस जाति वर्ग के छात्र–छात्रायें अपने अलग–अलग अभिव्यक्त अभिमतों में तुलनात्मक दृष्टि से सार्थक भिन्नता भी रखते है। जैसाकि उपलब्ध काई वर्ग मान एवं पी0 मानों से स्पष्ट होता है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न शैक्षिक सुविधाओं (छात्रवृत्ति की धनराशि) के उपभोग करने के सन्दर्भ में यौन–भेद, क्षेत्रवार एवं शैक्षिक संवर्ग के आधार पर अभिव्यक्त अभिमतों में तुलनात्मक दृष्टि से सार्थक भिन्नता पायी गयी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अम्बेडकर, भीमराव (1951) ''जाति विच्छेद'' प्रथम प्रकाशित, नई दिल्ली, कर्नाटक सरकार, अमृत बुक कम्पनी।
2. अग्निहोत्री, कल्पना (2004) ''उच्च एवं अनुसूचित जाति हिन्दु बुद्धाओं कीसामाजिक–आर्थिक दशाऐं एवं समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन'' अप्रकाश्ति पी0एच0डी0 शोध प्रबन्ध (समाजशास्त्र) डा. बी.आर. अम्बेडकर वि.वि.।
3. अग्रवाल, रेखा (1991) ''अनुसूचित जाति/जनजाति के विधार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की उपयुक्तता का अध्ययन'' अप्रकाशित एम.एड. लघुशोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, डी.ई.आई (डीम्ड वि. वि.) दयालबाग, आगरा
4. अग्रवाल, यश (1994) ''अनुसूचित जातियों में सहायता की प्रवृत्तियाँ, परिपेक्ष्य, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का सामाजिक, आर्थिक सन्दर्भ'' वर्ष एक, अंक 2 अगस्त पृष्ठ संख्या 79–104।
5. अग्रवाल, तनुजा (1994) ''विशिष्ट समूह की शैक्षिक उपलब्धि के मनोसामाजिक
6. संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारक–एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' अप्रकाशित पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र) डी.ई.आई. डीम्ड वि.वि. दयालबाग, आगरा।
7. अग्रवाल, वी.पी. (1988) ''उत्तर प्रदेश में अनु. जाति/जनजाति शिक्षा'' अजमेरक्षेत्रीय महाविद्यालय, राजस्थान।
8. भारत, चन्द्रभान (1990) ''अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के लिए संविधानिक संरक्षण एवं उनके क्रियान्वयन का अध्ययन'' अप्रकाशित पी.एच.डी. शोधप्रबन्ध (राजनिति शास्त्र) , आगरा विश्वविद्यालय, आगरा

❖◆❖